न्यायालय – सिविल न्यायाधीश, टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी : संजीव कुमार, आर.जे.एस.

नियमित दीवानी प्र. सं. : 01/2018

सीआईएस नं. : 01/2018

संतो उर्फ संतोष वगैरा बनाम सुरेन्द्र कुमार वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांकित 03.10.2019

उपस्थिति :–

1. श्री रोहिताश चाहर, विद्वान अधिवक्ता, वादीगण/प्रार्थीयागण की ओर से।
2. श्री अब्दुल सत्तार, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.01 की ओर से।
3. श्री रामस्वरूप भादू,विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी/प्रतिवादी सं.02 की ओर से।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–06.02.2020

प्रार्थीयागण/वादियागण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रतिवादी सं. 02 रामचन्द्र उनका पिता था, जिसका दिनांक 08.10.2018 को देहान्त हो चुका है, जिसकी जायज व कानूनी वारिसान वादियागण है, उनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है, जो पहले से रिकॉर्ड पर है। वादियागण ग्रामीण परिवेश की औरतें है, इन्हे विधि का ज्ञान नहीं है। अतः पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। लिहाजा प्रतिवादी सं. 02 के नाम के आगे फौत अंकित किया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 ने जवाब में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 02 रामचन्द्र का देहान्त होना स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 02 की एक पत्नी सावित्री भी है। अतः उसे विहित समय अवधि में अभिलेख पर ना लेने के कारण दावा एबेट हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीयागण ने कथन किया कि प्रकरण में पहले से ही पत्रावली पर मौजूद वादियागण के अतिरिक्त मृतक प्रतिवादी सं. 02 का अन्य कोई वारिस नहीं है। इस संबंध में उन्होने वारिस प्रमाण पत्र भी पेश किया है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता

ने तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक के एक अन्य वारिस सावित्री रिकॉर्ड पर नहीं है, जिसके संबंध में उन्होने सरपंच का प्रमाण पत्र पेश किया है।

उभयपक्ष के तर्को पर चिंतन, मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जहां एक ओर वादियागण का कथन है कि वादियागण के अतिरिक्त मृतक प्रतिवादी सं. 02 जो कि उनका पिता था, के अन्य कोई वारिस नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीयागण ने ग्राम पंचायत डबली कलां के सरपंच की वारिस रिपोर्ट पेश की है, जो दिनांक 28.02.2019 की है, जिसमें केवल वादियागण को ही बतौर वारिस दिखाया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत डबली कलां के सरपंच के दो प्रमाण पत्र क्रमशः दिनांकित 19.01.18 व 24.01.18 पेश किए है, जिनमें सावित्री को भी मृतक की बतौर पत्नी दिखाया गया है। इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में उभयपक्ष ने मृतक के वारिसान बाबत भिन्न–भिन्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है, परन्तु अदालत हाजा के विनम्र मत में यदि वाद पत्र का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत दावा मृतक प्रतिवादी सं. 02 द्वारा प्रतिवादी सं. 01 को दत्तक लिए जाने के संबंध में गोदनामा को निरस्त करवाने के संबंध में है। अपने वाद पत्र में प्रार्थीयागण ने कथन किया है कि उक्त गोदनामा उनके पिता मृतक प्रतिवादी सं. 02 एवं उसकी तथाकथित पत्नी किसी गोमती देवी द्वारा निष्पादित किया गया है, जबकि गोमती देवी उनकी माता नहीं है। उक्त गोमती देवी को फर्जी रूप से उनके पिता की पत्नी दर्शाया गया है, जबकि उनकी माता का नाम परमेश्वरी देवी है। इसके विपरीत प्रतिवादी सं. 01 ने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 02 की पत्नी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 02 ने दूसरी शादी गोमती देवी के साथ कर ली थी तथा गोमती देवी की सहमति से ही प्रतिवादी सं. 02 ने प्रतिवादी सं. 01 को गोद लिया था। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 02 की मृत्यु होने के पूर्व उसके द्वारा अपना जवाब दावा पेश किया गया है, जिसने अपने जवाब दावा में कथन किया है कि उसके गोमती देवी नाम की कोई पत्नी नहीं थी और ना ही उसने कभी प्रतिवादी सं. 01 को गोद लिया। अदालत हाजा द्वारा इस संबंध में कि गोमती देवी प्रतिवादी सं. 02 की पत्नी थी या नहीं तनकी सं. 02 विरचित की गई है। इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में उक्त गोमती देवी उर्फ सावित्री मृतक प्रतिवादी सं. 02 की दूसरी पत्नी अर्थात उसकी वारिस है या नहीं, यह प्रकरण में मुख्य विवादित प्रश्न है, जिसके संबंध में

तनकी भी विरचित की गई है। अतः उक्त तथ्य के संबंध में मामले में साक्ष्य आने के उपरांत ही कोई फैसला किया जा सकता है। लिहाजा चूंकि प्रकरण में दोनों ही पक्षों ने प्रतिवादी सं. 02 की मृत्यु होना स्वीकार किया है एवं इस प्रकार पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 02 की मृत्यु होने का तथ्य विवादित नहीं है। लिहाजा प्रतिवादी सं. 02 रामचन्द्र के नाम के आगे लाल स्याही से उसकी फौतगी का अंकन किया जावे। हस्तगत प्रार्थना पत्र इसी प्रकार निस्तारित किया जाता है।

(**संजीव कुमार**)
सिविल न्यायाधीश,
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

आदेश आज दिनांक 06.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(**संजीव कुमार**)
सिविल न्यायाधीश,
टिब्बी जिला हनुमानगढ़